### भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



EXTRAORDINARY

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 163]

No. 1631

दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 15, 2003/आह्क्नि 23, 1925 DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 2003/ASVINA 23, 1925

[रा०रा०रा०क्षे०दि०सं०230

[N.C.T.D. No. 230

भाग IV PART IV

# राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

## परिवहन विभाग अधिसृचना

दिल्ली, 15 अवतूबर, 2003

पंजिका क्रमांक:—21/सैक्रेटरी/एस.टी.ए./2001/849.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 89 की उप-धारा (2), क्षारा 2 के खण्ड (41) के साथ पठित में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय उप-राज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सहर्ष, राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण का, श्रीमति वीना बीरबल, सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी मामले) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, सहित, तत्काल प्रभाव से, सम्पूर्ण राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए गठन करते हैं।

> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेशानुसार,

जी.एस. पटनायक, आयुक्त एवं सचिव (परिवहन)/अध्यक्ष (रा.परि. प्राधिकरण)

# TRANSPORT DEPARTMENT

#### NOTIFICATION

Delhi, the 15th October, 2003

No. F. 21/SECY/STA/2001/849.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 89 read with clause (41) of Section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to constitute State Transport Appellate Tribunal for the National Capital Territory of Delhi, consisting of Smt. Veena Birbal, Secretary (Law, Justice & Legislative Affairs), Govt. of National Capital Territory of Delhi,

> By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

3061 DG/2003

G.S. PATNAIK Commissioner-Cum-Secy. (Transport)/Chairman (S.T.A.)